


राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग-3)



क्रमांक एफ 1(2)ग्रावि/नरेगा/82614/मा.द./पार्ट-3/2015

जयपुर, दिनांक : 6 OCT 2016

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना,
समस्त राजस्थान।

विषय:- "पं. दीनदयाल उपाध्याय जन कल्याण पंचायत शिविर" के दौरान महात्मा गांधी नरेगा योजना के कार्यों के संबन्ध में।


संदर्भ:- पंचायतीराज विभाग द्वारा जारी कार्यालय आदेश दिनांक 05.10.2016

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में आयोजित किये जाने वाले शिविरों में महात्मा गांधी नरेगा योजना से संबन्धित निम्नानुसार कार्यवाही सम्पादित करावे :-

1. योजनान्तर्गत जारी समस्त जॉबकार्ड में सम्मिलित सभी सदस्यों का सत्यापन एवं नरेगा सॉफ्ट में फोटो सहित अपडेशन
2. ग्राम रोजगार सहायक/ग्राम सचिव के हस्ताक्षर सहित जॉबकार्ड को अपडेट करना (रोजगार की मांग/आवंटन, कार्य का नाम, मस्टररोल नम्बर, भुगतान का विवरण आदि)
3. जॉबकार्डधारी परिवार के सभी सदस्यों विशेष रूप से एक्टिव श्रमिकों के आधार नम्बर मय हस्ताक्षरित/अंगुठा निशानी प्रति प्राप्त करना तथा नरेगा सॉफ्ट पर इनका इन्द्राज करना
4. उक्त सभी के आधार नम्बर के उपयोग हेतु तथा आधार नम्बर का लिंकेज बैंक खाते से किये जाने के लिए सहमति पत्र प्राप्त करना एवं इनका इन्द्राज नरेगा सॉफ्ट में किया जाना
5. आधार नम्बर का लिंकेज बैंक खाते से किये जाने के लिए प्राप्त सहमति पत्रों को संबन्धित बैंक में दिया जाकर, आधार नम्बर एवं बैंक खाते का लिंकेज सुनिश्चित कराना, साथ ही संबन्धित बैंक के साथ समन्वय कर लिंकेज की सूचना एन.पी.सी.आई. को प्रेषित कराना
6. श्रमिकों के संयुक्त बैंक खातों को व्यक्तिगत बैंक खाते में परिवर्तित कराना अथवा व्यक्तिगत नया बैंक खाता खुलवाना

भवदीय



6/10/16

(रोहित कुमार)

आयुक्त, ईजीएस

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग।
2. प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग।
3. आयुक्त एवं शासन सचिव, पंचायतीराज विभाग।
4. शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
5. आयुक्त, ईजीएस।
6. परि.निदे.एवं संयुक्त सचिव, ईजीएस/वित्तीय सलाहकार, ईजीएस/मुख्यालय के अन्य अधिकारीगण श्री।
7. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, नरेगा एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, समस्त राजस्थान।
8. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक जिला परिषद बाडमेर।
9. अधिशाषी अभियन्ता, ईजीएस जिला परिषद समस्त।
10. विकास अधिकारी सह कार्यक्रम अधिकारी, महात्मा गांधी नरेगा पंचायत समिति समस्त।
11. रक्षित पत्रावली।


अधिशाषी अभियन्ता, ईजीएस